UPET110112792022

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–868 /2022
भूरा ---बनाम---- राज्य

15.10.2022

आदेश

अभियुक्त भूरा उर्फ योगेश की ओर से अपराध सं0–60/2021 अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना नि0 कला, जिला एटा के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उक्त प्रकरण में अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवें परिस्थितियों को दृष्टिगत दखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त भूरा उर्फ योगेश की ओर से अपराध सं0–60/2021 अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना नि0 कला, जिला एटा के प्रकरण में मु0–20,000/–रूपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा